

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 582/2016/पाली.

2. अपील संख्या - 583/2016/पाली.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत-पाली.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मयूर एन्टरप्राइजेज,

36-ए, लक्ष्मी इण्ड. एस्टेट, जवड़िया घुमटी, पाली.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 05/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 3 व 4/आरवेट/पाली/14-15 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 21.9.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म को राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 (जिसे आगे 'योजना-98' कहा जायेगा) के तहत करमुक्ति का प्रमाण-पत्र दिनांक 27.02.2003 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा करमुक्ति का लाभ लिया जा रहा था। प्रमाण-पत्र अनुसार वर्ष 2005-06 में कुल देय कर की 70 प्रतिशत राशि की करमुक्ति प्रभावी थी। राजस्थान राज्य में दिनांक 01.04.2006 से राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 लागू होने के पश्चात् पूर्व प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं में दिये गये लाभ को निरन्तर जारी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006 के जरिये यह विकल्प दिया गया कि करमुक्ति प्राप्त करने वाले व्यवसायी दिनांक 01.04.2006 के पश्चात् देय कर को जमा कराने के सम्बन्ध में डेफरमेंट योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विकल्प में यह व्यवस्था दी गयी थी कि करमुक्ति के






लगातार.....2



सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाण-पत्रों में जो अवधि 01.04.2006 को अवशेष थी, उतनी अवधि के अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्ष की सीमा तक दुगुनी अवधि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस अधिसूचना में यह व्यवस्था भी दी गयी थी कि दिनांक 31.03.2006 को पूर्व में प्राप्त प्रमाण-पत्र में दी गयी करमुक्ति अनुसार ही आगे के वर्षों में डेफरमेंट का लाभ प्राप्त करेंगे।

3. उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 का विकल्प लिया गया तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्थी को प्रमाण-पत्र जारी किया गया परन्तु उक्त प्रकरण अनुसार वह प्रमाण-पत्र इस आधार पर त्रुटिपूर्ण बताया गया कि उसमें डेफरमेंट के लाभ का प्रतिशत पूरी अवधि के लिये 70 प्रतिशत अंकित कर दिया गया था, जबकि वह लाभ प्रोत्साहन योजना-1998 में जारी प्रमाण-पत्र अनुसार वर्ष 2006-07 में 70 प्रतिशत, 2007-08 में 60 प्रतिशत, 2008-09 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 में 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुज्ञेय था। इसी तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को लाभ प्राप्त करने की अवधि सम्बन्धी जो अंकन किया गया था वह भी त्रुटिपूर्ण था क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के पक्ष में योजना-1998 के तहत दिनांक 01.04.2006 को 7 वर्ष की अवधि अवशेष थी एवं उस अनुसार 01.04.2006 से 7 वर्ष एवं अतिरिक्त 5 वर्ष की अवधि तक लाभ के उपभोग की प्रत्यर्थी की पात्रता थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को केवल 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 30.04.2011 तक की अवधि की ही पात्रता होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इस तरह त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्र से व्यवसायी को 7 वर्ष की अवधि कम दी गयी, साथ ही वर्ष 2007-08 से कम प्रतिशत के स्थान पर सभी वर्षों में 70 प्रतिशत का कर आस्थगित रखने का भी प्रमाण-पत्र दिया गया।

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.5.2006 को जारी किये गये प्रमाण-पत्र अनुसार ही प्रतिवर्ष नियमित कर निर्धारण आदेश तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित करते हुए वर्ष 2007-08 से 2010-11 में देय कर की 70 प्रतिशत राशि को आस्थगित रखे जाने का लाभ प्रदान कर दिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण आदेशों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए दिनांक 2.6.2014 एवं 2.7.2014 को संशोधन आदेश पारित करते हुए अधिसूचना दिनांक 30.3.2006 के अनुसार वर्ष 2009-10 में 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत तक लाभ देते हुए पूर्व के आदेशों से आस्थगित राशि को मय ब्याज तुरन्त राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की

लगातार.....3




गई, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आस्थगन योजना का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार प्राप्त किया गया था एवं उसी अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समय समय पर नियमित कर निर्धारण आदेश पारित कर आस्थगन योजना का लाभ 70 प्रतिशत की सीमा तक दिया गया था एवं प्रमाण-पत्र की त्रुटि को संशोधित नहीं करने से एवं वर्ष 2014 तक संशोधन करने की विधिक अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप किये गये संशोधन आदेशों को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर यह अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उक्त वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त दोनों कर निर्धारण वर्षों में जिस सीमा तक आस्थगन का लाभ प्राप्त योग्य था, उसी अनुसार कर निर्धारण आदेशों में संशोधन करते हुए लाभ को घटाया गया था एवं यह कर निर्धारण आदेशों में त्रुटि होने से उनमें संशोधन किया जाना विधिसम्मत है एवं यह संशोधन कर निर्धारण आदेशों की तारीख से 4 वर्ष के भीतर कर दिये जाने से समयावधि पार नहीं हुए हैं, अतः अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों का पूरा विश्लेषण करते हुए यह अवधारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि प्रमाण-पत्र के अनुसार ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आस्थगन का लाभ दिया गया था एवं कर निर्धारण आदेशों में कोई त्रुटि नहीं होने से उन्हें संशोधित किया जाना विधि के विरुद्ध है। अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होना बताया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. उक्त प्रकरणों में इस आदेश के प्रारम्भ में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवाद का बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 के प्रावधानों के अनुसार जो प्रमाण-पत्र दिनांक 22.5.2006 को जारी किया गया था, उसमें देय कर का आस्थगन प्रतिशत योजना-1998 के तहत जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार वर्षवार अंकित किया जाना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा त्रुटि करते हुए पूर्ववर्ती वर्ष 2005-06 की करमुक्ति के लिये प्राप्त योग्य प्रतिशत के आधार पर आगामी वर्षों के लिये 70





लगातार.....4



प्रतिशत राशि आस्थगित करने का अंकन कर दिया गया। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उसमें 70 प्रतिशत का अंकन किया जाना त्रुटिपूर्ण था। इसी तरह प्रमाण-पत्र में वर्ष 2006 से 2018 तक की अवधि के लिये पात्रता दिये जाने के बजाय केवल 2011 तक की ही पात्रता प्रदान की गयी, वह भी त्रुटिपूर्ण था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.5.2006 को दोनों बिन्दुओं पर त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्र जारी किया गया एवं इस प्रमाण-पत्र के आधार पर ही सभी वर्षों में अर्थात् 2007-08 से 2010-11 तक देय कर को 70 प्रतिशत तक आस्थगित कर दिये जाने के कर निर्धारण आदेश भी पारित किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो लाभ 12 वर्ष हेतु दिया जाना चाहिये था वह मात्र 5 वर्ष के लिये दे दिया गया, जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी हानि हुई थी, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी थी अतः उस पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

9. हमारे समक्ष प्रस्तुत अपीलों में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के लिये क्रमशः दिनांक 2.6.2014 एवं 2.7.2014 के संशोधन आदेश विवादित हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि मूल कर निर्धारण आदेशों में कोई त्रुटि नहीं थी क्योंकि वे आदेश, प्रमाण-पत्र अनुसार लाभ देते हुए पारित किये गये थे एवं प्रमाण-पत्र में संशोधन नहीं किया गया था। यह भी निर्णय दिया कि त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्र को संशोधित किये जाने की अवधि वेत अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांक 21.5.2010 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आदेश क्रमशः दिनांक 22.6.2011 एवं 6.2.2013 को पारित किये गये थे, जिसमें प्रमाण-पत्र के अनुसार ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को लाभ प्रदान किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के पश्चात् चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी का आस्थगन का लाभ भी समाप्त हो गया था ऐसी स्थिति में आस्थगित राशि को पुनः जमा कराने का समय भी प्रारम्भ हो चुका था। उक्त समस्त विवेचन के साथ अपीलीय अधिकारी द्वारा यह उचित निर्णय किया है कि दिनांक 2.6.2014 एवं 2.7.2014 के संशोधित आदेशों में प्रमाण-पत्र की त्रुटि को संशोधित नहीं किया गया है बल्कि दिनांक 22.6.2011 एवं दिनांक 6.2.2013 के कर निर्धारण आदेशों को संशोधित करने के आदेश किये गये हैं, जबकि उन दोनों कर निर्धारण आदेशों में किसी भी तरह की त्रुटि कारित नहीं की गयी थी, क्योंकि वे आदेश प्रत्यर्थी को जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार ही पारित किये गये थे एवं त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्र को संशोधित किये जाने का समय वर्ष 2010 में ही समाप्त हो चुका








था, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधित कर निर्धारण आदेशों को अपास्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह टिप्पणी भी न्यायोचित रूप से की गयी है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो मुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 1/1 दिनांक 22.5.2006 जारी किया गया था उसी अनुसार आस्थगन का लाभ प्राप्त किया गया है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई त्रुटि नहीं होने से उनके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ प्रमाण-पत्रों को समयसीमा में संशोधित किये बिना विदूढ़ों नहीं किया जा सकता। अतः अपीलीय आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
( कं. एल. जैन )  
सदस्य

  
( राजीव चौधरी )  
सदस्य